चेक लिस्ट क्र. 26

वन अधिकारियों का निरिक्षण प्रतिवेदन
(प्रपत्र **I** से **IV** तक)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–1
(प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1 i	अपेक्षित वन भूमि के प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम विवरण	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. पोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ द्वारा बाकारूमा– लैलूंगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र लैलूंगा के कक्ष कमांक ग्राम सलखिया **PF-187** रकबा 3.327 हेक्टे., हीरापुर **PF-193** रकबा 0.351 हेक्टे. और चोरंगा **PF-209** रकबा 0.165 हेक्टे. कुल 3.843 हेक्टे. वन भूमि का मांग प्रस्तुत है।
(ii)	1:50000 स्कैल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनो को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है। पेज क्र.....
(iii)	परियोजना लागत	72.53 करोड़ रूपये
(iv)	वन क्षेत्र मे परियोजना स्थापित करने का औचित्य	अन्य कोई वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध न होना।
(v)	लागत विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना	लगभग 1500 मानव दिवस।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः–	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. पोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ द्वारा बाकारूमा–लैलूंगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित है। जिसमें धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र लैलूंगा के ग्राम सलखिया के **PF-187** रकबा 3.327 हेक्टे., हीरापुर **PF-193** रकबा 0.351 हेक्टे. और चोरंगा **PF-209** रकबा 0.165 हेक्टे. कुल 3.843 हेक्टे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।
3	परियोजना के कारण यदि लोगों को हटाने का विवरण यदि हो तो	निरंक।
(i)	परिवारो की संख्या	निरंक।
(ii)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारो की संख्या	निरंक।
(iii)	पुर्नवास योजना	निरंक।
4	क्या पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है। हॉ / नही	पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के बिन्दु 7(f) में उल्लेखित विवरण के तहत पर्यावरण संरक्षण की स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि मे पुनः वनीकरण का वचनबद्धता (वचनबद्ध संलग्न की जावे)	संलग्न है।
6	निर्देशो के अनुरूप संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न है।

(ए. के. दीवान)
परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग – 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/Road/36751/2018

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान	लैलूंगा से बाकारूमा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	धरमजयगढ़ वनमण्डल के परिक्षेत्र लैलूंगा एवं बाकारूमा।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टयर)	3.843 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	**धरमजयगढ़ वनमंडल – 3.843 हे.** आरक्षित वनभूमि 0.000 हे. संरक्षित वनभूमि 3.843 हे. राजस्व वनभूमि 0.000 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4– 0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचांई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ॰आर॰एल॰,एफ॰ एफ॰ आर॰ एल॰–2 मी॰ पर परिगणना और एफ॰ आर॰एल॰ 4 मी॰ भी संलग्न किये जाये।	आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 334 नग वृक्ष प्रभावित हैं। गणना प्रतिवेदन गोलाईवार संलग्न है।
(viii)	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है, या नहीं	नहीं।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित लैलूंगा से बाकारूमा सड़क राजस्व भूमि के अलावा वनभूमि की कक्ष क्रमांक के भीतर गुजर के जा रहा है।

(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	उक्त लैलूंगा से बाकारूमा सड़क छ0ग0 वन विभाग कैम्पा द्वारा निर्धारित वाईल्ड लाईफ कारीडोर में आता है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	हां न्यूनतम आवश्यकता जमीन मांग किया गया है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।	नहीं हैं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(i)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वनक्षेत्र/बिगड़े वनक्षेत्र का व्यौरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या,प्रत्येक हिस्से का आकार।	धरमजयगढ़ से कापू सड़क में प्रभावित वनभूमि के बदले बाकारूमा में नारंगी वनखण्ड बांधाडोंगरी ख.नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. क्षेत्र का चयन किया गया है जिस कारण वनेत्तर क्षेत्र का मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन	प्रस्तावित CA क्षेत्र राजस्व वनभूमि में होने के कारण आवश्यकता नहीं है।

	सीमाओं को दर्शाता मैप	
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के ~~विवरण~~ कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	6766660/–
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	प्रस्तावित स्थल पर दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है तथा सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है। तथा आवेदक संस्थान द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल	धरमजयगढ़ वनमंडल, जिला – रायगढ़
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6527.440 वर्ग किलो मीटर
(ii)	जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल का वन क्षेत्र	आरक्षित वन – 768.571 वर्ग किलो मीटर संरक्षित वन – 286.872 वर्ग किलो मीटर असीमांकित वन – 657.976 वर्ग किलो मीटर कुल वनक्षेत्र – 1713.419 वर्ग किलो मीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	8 प्रकरण रकबा 419.433 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	50.000 हेक्टेयर
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.000 हेक्टेयर

(v)	वर्ष 2019 – 2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि।	1917.627 हे.
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	निरंक
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	आम नागरिकों एवं अन्य सभी को आवागमन सुविधा हो इसको ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क निर्माण कार्य की अनुशंसा निम्न शर्तो पर की जाती है :– 1. जहां मिट्टी क्षरण की संभवना है वहां संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार आवेदक संस्थान द्वारा रिटेनिंग वाल (Retaininig Wall) बनाया जावे। 2. वन्य हाथी एवं अन्य वन्य प्राणी द्वारा सड़क को पार करने में सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए सड़क का Embankment को संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार बनाया जावे।

स्थान : .....धरमजयगढ़.....
दिनांक : 06/05/2022

अभिषेक जोगावत भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

प्रपत्र–3

वन संरक्षण अधिनियम,1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	लैलूंगा से बाकारूमा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.)		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	लैलूंगा से बाकारूमा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	**जिला**	**वनमंडल**	**परियोजना स्थल**
		रायगढ़	धरमजयगढ़	लैलूंगा से बाकारूमा मार्ग
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	**वनखंड/ ग्राम**	**कक्ष क्र॰ / खसरा क्र.**	**आवेदित क्षे॰ का क्षेत्रफल हे. में**
क.	आरक्षित वन	–	–	0
ख.	संरक्षित वन	सकरलिया	PF-187	3.327
		हीरापुर	PF-193	0.351
		चोरंगा	PF-209	0.161
ग.	राजस्व वनभूमि	–	–	0
		योग		**3.483**
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वनों का प्रकार	साल एवं मिश्रित वन	
		साइट क्वालिटी	III	
		घनत्व	0.4 – 0.5	
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 334 नग वृक्ष। गणना पत्रक संलग्न है।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	माध्यम है।		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी॰डब्लू॰डी॰/वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	खनिज प्रकरण नहीं है।		

10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिर्जव, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेंत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि॰मी॰ के अंतर्गत है अथवा नही? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	उक्त लैलूंगा से बाकारूमा सड़क छ0ग0 वन विभाग कैम्पा द्वारा निर्धारित वाईल्ड लाईफ कारीडोर में आता है।
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नही (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	नही है।
12.	आवेदति क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंवे।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन नहीं किया गया है।

प्रमाण – प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/~~नहीं~~ की जाती है।

निरीक्षण स्थल : लैलूंगा

दिनांक : 14/02/2022

अभिषेक जोगावत भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल